जिला योजना/चालू कार्य

संख्या-2035/बयालिस-2010-30(निर्माण) 2008

प्रेषक,

डा0 ललित वर्मा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेलकूद उत्तर प्रदेश,
खेल निदेशालय, लखनऊ।

खेलकूल अनुभाग लखनऊ दिनांक 21 मई 2010

विषयः-जनपद-बाँदा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इण्डोर वालीबाल हाल के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-2184/बयालिस-2009-30 निर्माण/207 दिनांक 28-07-2009 एवं आपके पत्र संख्या-जी 108/2008-09 दिनांक 12-05-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने को निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद बांदा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इण्डोर वालीबाल हाल के निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) की सहर्ष की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उपरोक्त स्वीकृति धनराशि रू0 50,00,000/- (रू पचास लाख मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके संबंधित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2010-11 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

3. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि कोई भी व्यय तब तक न किया जाय और न ही कोई वित्तीय वचनबद्धता की जाय जब तक कि पर्याप्त भूमि की व्यवस्था न कर ली गयी हो तथा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणनों (डी0पी0आर0) पर दिनांक 2 मार्च, 2006 के शासनादेश के अनुरूप सक्षम अधिकारी की प्राविधिक/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व में इस योजना हेतु

किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि न दी गयी हो, न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है। इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शेष शर्त मूल शासनादेश दिनांक 29-01-2009 के अनुसार यथावत रहेगी।

4. उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक-4202 शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03 खेलकूद तथा युवा सेवा-800 अन्य व्यय-25 जिला योजना के अधूरे कार्यो के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5. उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-बी-1-961 /दस-2010-231/2010 दिनांक 26 मार्च, 2010 में प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(डॉ0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2035 (1)/बयालिस-2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकर, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4. जिलाधिकारी बांदा।
5. क्रीडाधिकारी बांदा।
6. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, गोमतीनगर लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9. वित्त एवं लेखाधिकारी, खेल निदेशालय लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग-4
11. सूचनाधिकारी सूचना ब्यूरो, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
12. सचिव, उ0प्र0 राज्य सलाहकार परिषद लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।